राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

डी. बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 927/2020

में

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8085/2016

1. राजस्थान राज्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर के माध्यम से।

2. खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति बानसूर, जिला अलवर राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र श्री हरि राम, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट बानसूर, तहसील बानसूर, जिला अलवर।

-----प्रत्यर्थी /अपीलार्थी

2. महेंद्र कुमार सैनी पुत्र बाबूलाल सैनी, निवासी गांव व पोस्ट बानसूर, तहसील बानसूर जिला अलवर।

----प्रोफार्मा प्रतिवादी/गैर याचिकाकर्ता संख्या 3

अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.एस.राघव, अपर महाधिवक्ता।

प्रत्यार्थी की ओर से : श्री मनोज कुमार चौधरी, अधिवक्ता।

माननीय कार्यवाहक न्यायमूर्ति श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति श्री विनोद कुमार भरवानी

निर्णय

रिपोर्ट करने योग्य

07/09/2022

सुना गया।

यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 21.10.2019 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत, प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर रिट याचिका, एक अंशकालिक सफ़ाईकर्मी को उसकी सेवाओं को नियमित करने के निर्देश के साथ अनुमति दी गई है।

अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता का तर्क था कि सेवा में बिना कोई पद और बिना पद के नियमितीकरण के निर्देश भर्ती नियमों के अनुरूप खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन की किसी प्रक्रिया और भारत के संविधान कै अनुच्छेद 14 और 16 के तहत ज्ञात किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 एक अंशकालिक कर्मचारी है, इसलिए, किसी भी मामले में, अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में नियमितीकरण के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।

जहां तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के लिए स्वीकार्य वेतनमान का न्यूनतम वेतन देने का सवाल है, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता का तर्क होगा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्रतिवादी संख्या 1 को देने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वह अंशकालिक कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है, जिसे वेतनमान का न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा सकता। उनका कहना था कि किसी भी मामले में, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत जारी मौजूदा अधिसूचना के अनुसार, न्यूनतम वेतन प्रतिवादी नंबर 1 को देय है।

विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने आगे यह कहा कि पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम जगजीत सिंह एवं अन्य, (2017) 1 एससीसी 148 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, प्रतिवादी क्रमांक 1 की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश विधि में गलत है क्योंकि वह निर्णय केवल समान काम के लिए समान वेतन के मुद्दे से संबंधित है और उस आधार पर नियमितीकरण की राहत नहीं दी जा सकती है।

अपनी दलीलों के समर्थन में, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने भारत संघ एवं अन्य बनाम पिल्लई एवं अन्य, (2010) 13 एससीसी 448; राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम दया लाल एवं अन्य, (2011) 2 एससीसी 429 के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और भारत संघ एवं अन्य बनाम इल्मो देवी एवं अन्य, 2021 की सिविल अपील संख्या 5689-5690, जिसमें निर्णय 07.10.2021 को किया गया के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय पर भरोसा जताया।

दूसरी ओर, प्रतिवादी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता का कहना था कि प्रतिवादी क्रमांक 1 वर्ष 1997 से पंचायत समिति बानसूर की सेवाओं में अंशकालिक सफाईकर्मी के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी क्रमांक 1 को सर्वाधिक शोषणकारी नियमों और शर्तों पर सेवा में बना रहा। पिछले तीन दशकों से अधिक समय तक काम करने के बाद भी, प्रतिवादी क्रमांक 1 को कोई स्थायी दर्जा नहीं दिया गया है, न ही उसे नियमित वेतन का भुगतान किया जा रहा है जो अन्यथा नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा है। पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम जगजीत सिंह एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, किसी भी मामले में, समान काम के लिए समान वेतन के दावे को बरकरार रखा है। उनका कहना था कि प्रतिवादी क्रमांक 1 पंचायत समिति बानसूर की सेवाओं में सफ़ाईकर्मी के रूप में काम कर रहा है, जिसे अंतिम पायदान अर्थात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवा माना जा सकता है और इसलिए, किसी भी मामले में, वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर लागू वेतनमान का वेतन न्यूनतम का हकदार है। हालांकि कोई दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर नहीं है, सुनवाई के दौरान प्रतिवादी क्रमांक 1 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जिन्हें अधिशेष घोषित किया गया था, उन्हें वर्ष 2010 में समय-समय पर नियमित किया गया था, इसलिए, समानता के आधार पर भी, प्रतिवादी नंबर 1 नियमितीकरण के लिए निर्देश का हकदार है।

हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकार्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 वर्ष 1997 से सफ़ाईकर्मी के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा, पक्षों की दलीलों और रिकॉर्ड पर रखे गए विभिन्न दस्तावेजों से, हम पाते हैं कि प्रतिवादी क्रमांक 1 की नियुक्ति एक अंशकालिक कर्मचारी के रूप में है और वह 1997 से इस पद पर कार्यरत है।

इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सफ़ाईकर्मी का कोई नियमित और स्वीकृत पद नहीं है, लेकिन राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 258 के तहत निर्दिष्ट संबंधित पंचायत समिति की स्थापना में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद हैं।

यदि प्रतिवादी क्रमांक 1 अंशकालिक कर्मचारी है और वह संबंधित पंचायत समिति की स्थापना में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के किसी भी स्वीकृत और रिक्त पद पर काम नहीं कर रहा है, तो नियमितीकरण के लिए उसका दावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विधिक निर्णयों के मद्देनजर मान्य नहीं है।

भारत संघ एवं अन्य बनाम पिल्लई और अन्य (सुप्रा) के मामलों में, निम्नानुसार निर्णय दिया गया था:

> "15. यह सच है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादियों के अधीन कई वर्षों से अंशकालिक के रूप में काम कर रहे हैं और उन्हें वह वेतन नहीं मिल रहा है जो नियमित कर्मचारियों को दिया जाता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना उचित है कि याचिकाकर्ताओं और उनके द्वारा नियुक्त अन्य बैंडमैनों की काम करने की स्थिति उत्तरदाता एक जैसे नहीं हैं। याचिकाकर्ता नियमित रोजगार में नहीं हैं। वे केवल अंशकालिक कर्मचारी हैं, जो सप्ताह में दो या तीन बार अपना कर्तव्य निभाते हैं और जब भी वे अपना कर्तव्य निभाते हैं तो उन्हें दैनिक वेतन का भुगतान किया जाता है। दैनिक वेतन के अलावा, उन्हें प्रोत्साहन के रूप में कुछ मासिक राशि का भी भुगतान किया जाता है और उन्हें बाल कटवाने, वर्दी की धुलाई के लिए भत्ते भी दिए जाते हैं और कभी-कभी उन्हें नाश्ता या दोपहर का भोजन भी प्रदान किया जाता है।
>
> 16. याचिकाकर्ताओं को किसी भी नियमित संवर्ग में नियमित नियुक्ति

नहीं दी गई। हमारी राय में, याचिकाकर्ताओं को किसी भी ऐसे कैडर में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है जिससे वे संबंधित नहीं हैं। हमारी राय में, उच्च न्यायालय उस समय गलती पर था जब उसने इस आशय का अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया कि याचिकाकर्ताओं का प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा शोषण किया गया था, क्योंकि नागरिकों से प्राप्त राशि का 80% उत्तरदाताओं द्वारा रखा गया था जबकि केवल 20% राशि याचिकाकर्ताओं को दिया गया। यह ध्यान रखना उचित है कि याचिकाकर्ता दैनिक मजदूर हैं और यहां ऊपर उल्लिखित दैनिक वेतन और अन्य भत्तों के अलावा, जब भी वे नागरिकों द्वारा आयोजित किसी समारोह में प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें उपरोक्त राशि का भुगतान किया जाता है। प्रतिवादी अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं को संगीतकारों के रूप में प्रशिक्षण दिया है और प्रतिवादियों द्वारा उन्हें वर्दी भी प्रदान की गई है।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से यह तय होता है कि अंशकालिक कर्मचारी नियमितीकरण के हकदार नहीं हैं।

राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम दया लाल और अन्य (सुप्रा) के मामले में एक अन्य निर्णय में, अंशकालिक कर्मचारी के अधिकारों से संबंधित मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचार के लिए आया। निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किये गये:

"12. शुरुआत में हम नियमितीकरण और वेतन में समानता से संबंधित निम्नलिखित सुस्थापित सिद्धांतों का उल्लेख कर सकते हैं, जो इन अपीलों के संदर्भ में प्रासंगिक हैं।:

i. उच्च न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, नियमितीकरण, अवशोषण या स्थायी निरंतरता के लिए निर्देश जारी नहीं करेंगे, जब तक कि नियमितीकरण का दावा करने वाले कर्मचारियों को एक खुली प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में प्रासंगिक नियमों के अनुसार नियमित भर्ती के अनुसरण में नियुक्त नहीं किया गया हो।

स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता खंड का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए और न्यायालयों को किसी कर्मचारी की सेवाओं को नियमित करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं करना चाहिए जो संवैधानिक योजना का उल्लंघन होगा। जबकि चयन की प्रक्रिया में तत्वों में से किसी एक के अनुपालन के अभाव में जो अनियमित है, जो प्रक्रिया की जड़ तक नहीं जाता है, उसे नियमित किया जा सकता है, पिछले दरवाजे से प्रविष्टियाँ, संवैधानिक योजना के विपरीत नियुक्तियाँ और/या अपात्रों की नियुक्ति अभ्यर्थियों को नियमित नहीं किया जा सकता।

ii. अदालत के कुछ अंतरिम आदेशों की आड़ में किसी अस्थायी या तदर्थ या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी द्वारा सेवा जारी रखने मात्र से उसे सेवा में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ऐसी सेवा "मुकदमेबाजी रोजगार" होगी। यहां तक कि लंबे समय तक अस्थायी, तदर्थ या दैनिक वेतन वाली सेवा, एक या दो साल की सेवा की तो बात ही छोड़ दें, ऐसे कर्मचारी को नियमितीकरण का दावा करने का अधिकार नहीं होगा, यदि वह स्वीकृत पद के खिलाफ काम नहीं कर रहा है। कानूनी अधिकार के अभाव में सहानुभूति और भावना नियमितीकरण के किसी भी आदेश को पारित करने का आधार नहीं हो सकती।

iii. यहां तक कि जहां एक कट-ऑफ तिथि के साथ नियमितीकरण के लिए एक योजना तैयार की जाती है (यह एक ऐसी योजना है जो यह प्रदान करती है कि जिन व्यक्तियों ने सेवा के वर्षों की एक निर्दिष्ट संख्या पूरी कर ली है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार रोजगार में बने हुए हैं), यह संभव नहीं है अन्य लोगों को, जिन्हें कट-ऑफ तिथि के बाद नियुक्त किया गया था, यह दावा करने या तर्क देने के लिए कि कट-ऑफ तिथि बढ़ाकर उन पर योजना लागू की जानी चाहिए या लगातार कट-ऑफ तिथियां प्रदान करने वाली नई योजनाएं तैयार करने के लिए निर्देश मांगा जाना चाहिए।

iv. अंशकालिक कर्मचारी नियमितीकरण पाने के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे किसी स्वीकृत पद पर काम नहीं कर रहे हैं। अंशकालिक अस्थायी कर्मचारियों के आमेलन, नियमितीकरण या स्थायी निरंतरता के लिए कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

v. सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में अंशकालिक अस्थायी कर्मचारी समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर सरकार के नियमित कर्मचारियों के साथ वेतन में समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। न ही निजी रोजगार में कार्यरत कर्मचारी, भले ही पूर्णकालिक सेवा कर रहे हों, सरकारी कर्मचारियों के साथ वेतन में समानता की मांग नहीं कर सकते। राज्य के विरुद्ध किसी विशेष वेतन का दावा करने का अधिकार एक अनुबंध या क़ानून के तहत उत्पन्न होना चाहिए।

[देखें कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी (3) (2006) 4 एससीसी 1, एम. राजा बनाम सीईईआरआई एजुकेशनल सोसाइटी (2006) 12 एससीसी 636, एस.सी. चंद्रा बनाम झारखंड राज्य (2007) 8 एससीसी 279, कुरूक्षेत्र सेंट्रल कॉप. बैंक लिमिटेड बनाम मेहर चंद (2007) 15 एससीसी 680 और आधिकारिक परिसमापक बनाम दयानंद (2008) 10 एससीसी 1.]"

उपरोक्त सिद्धांतों को निर्धारित करने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंशकालीन समाज कल्याण संघ, बांसवाड़ा वि.सं. राजस्थान राज्य और अन्य (रिट याचिका संख्या 3453/1994 दिनांक 26.05.1995 को निर्णय लिया गया) मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के मद्देनजर अंशकालिक कर्मचारियों के नियमितीकरण की मौजूदा योजना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी विचार किया। यह स्पष्ट किया गया कि ऐसी योजना का उद्देश्य एक बार का उपाय करना था और इसे ऐसी एक बार की योजना के विस्तार की मांग करने का आधार नहीं बनाया जा सकता था। इसके अलावा, यह उन लोगों के लिए एकमुश्त उपाय के रूप में नियमितीकरण की योजना थी, जिन्होंने 01.05.1995 से पहले सेवा में प्रवेश किया है। निम्नलिखित टिप्पणियाँ प्रासंगिक हैं:

"20. अंशकालिक रसोइयों और चौकीदारों को वर्ष 1995, 1996, 1997 और 1998 में सरकारी छात्रावासों में अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने वर्ष 1999 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया (मदन लाल योगी को छोड़कर जिन्होंने वर्ष 1997 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था)। उनमें से कुछ की सेवाएँ अस्थायी नियुक्ति की तारीख से एक या दो साल के भीतर ही समाप्त कर दी गई थीं। हालाँकि राज्य ने उन सभी को बर्खास्त करने का निर्णय लिया था जिन्हें समेकित वेतन के आधार पर नियुक्त किया गया था, अन्य उत्तरदाताओं ने अदालतों के अंतरिम आदेशों के कारण इसे जारी रखा एक या दो साल की अवधि के लिए सेवा या चुनौती के तहत अंतिम आदेशों, या अंतरिम आदेशों के आधार पर कुछ और वर्षों तक जारी रहने से, उन्हें न तो नियमितीकरण के संदर्भ में और न ही विभाग के नियमित कर्मचारी वेतन के बराबर भुगतान के संदर्भ में किसी भी प्रकार की राहत का अधिकार मिलेगा। ।

21. उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया, अर्थात् उच्च न्यायालय के अंशकालीन समाज कल्याण संघ के फैसले ने निस्संदेह राज्य सरकार को अंशकालिक रसोइयों और चौकीदारों के नियमितीकरण के लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया। उक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि ऐसी योजना का उद्देश्य एक बार का उपाय करना था। इसके अलावा उक्त निर्णय डेली रेटेड कैज़ुअल लेबर बनाम भारत संघ, (1988) 1 एससीसी 122, भगवती प्रसाद बनाम दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम (1990) 1 एससीसी 361 और धारवाड़ जिला पीडब्ल्यूडी साक्षर दैनिक वेतन कर्मचारी संघ बनाम कर्नाटक राज्य (1990) 2 396 एससीसी के मामलों में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए उमा देवी (3) से पहले उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। इन निर्देशों पर उमा देवी (3) मामले में संविधान पीठ द्वारा विचार किया गया, समझाया गया और वास्तव में खारिज कर दिया गया। अंशकालीन समाज कल्याण सिंह में

फैसला अब अच्छा कानून नहीं रहा. सभी घटनाओं में, भले ही 1-5-1995 से पहले सेवा में रहे लोगों के नियमितीकरण के लिए एकमुश्त योजना थी, लेकिन नियमितीकरण के लिए योजना के बाद योजना के लिए क्रमिक निर्देश स्पष्ट रूप से नहीं हो सकते हैं। अनियमित या अंशकालिक नियुक्तियों की. इसलिए उक्त निर्णय से कोई सहायता नहीं मिलती है।"

अंशकालिक कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त रिट याचिका में किया गया दावा अस्वीकार कर दिया गया।

भारत संघ एवं अन्य बनाम इल्मो देवी और अन्य (सुप्रा.) के मामले में हाल ही में एक न्यायिक फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंशकालिक कर्मचारियों के नियमितीकरण के ऐसे दावे की जांच की। यह विशेष रूप से सफ़ाईकर्मी का मामला होने के कारण, इस पर निम्नानुसार निर्णय दिया गया था:

"8.7 इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून के अनुसार अंशकालिक कर्मचारी नियमितीकरण की मांग करने के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे किसी भी स्वीकृत पद के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं और अंशकालिक अस्थायी कर्मचारियों की कोई स्थायी निरंतरता नहीं हो सकती है। आयोजित सरकार द्वारा संचालित संस्थान में अंशकालिक अस्थायी कर्मचारी समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर सरकार के नियमित कर्मचारियों के साथ वेतन में समानता का दावा नहीं कर सकते।

अंशकालिक सफाईकर्मियों से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले के मद्देनजर, हम प्रतिवादी नंबर 1 के नियमितीकरण के लिए एकल न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देश को बरकरार रखने में असमर्थ हैं, खासकर जब कोई पद मौजूद नहीं है, जिस पर उसे नियमित किया जा सकता है।

जहां तक समान काम के लिए समान वेतन के दावे का सवाल है, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता का कहना है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 अंशकालिक सफाईकर्मी के रूप में काम कर रहा है। उनकी सेवाओं का उपयोग रुक-रुक कर किया जाता है, नियमित आधार पर

नहीं। इस पहलू पर प्रतिवादी क्रमांक 1 के विद्वान वकील द्वारा यह कहकर विवाद किया जा रहा है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति रुक-रुक कर नहीं है।

उपरोक्त पहलू पर ध्यान नहीं दिया जा सकता क्योंकि पक्षों की दलीलों और दस्तावेजों से जो सामने आता है, वह यह है प्रतिवादी क्रमांक 1 एक अंशकालिक कर्मचारी है और किसी अन्य क्षमता में कार्यरत नहीं है।

उपरोक्त निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक घोषणा समान कार्य के लिए समान वेतन के दावे को अस्वीकार करती है क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक 1 अंशकालिक कर्मचारी है। यदि ऐसा मामला होता कि प्रतिवादी क्रमांक 1 एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था और समान कर्तव्य और कार्य करने वाले अन्य कर्मचारियों को उच्च वेतन दिया जाता था, तो इस न्यायालय द्वारा कुछ राहत दी जा सकती थी। इसलिए, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, हम प्रतिवादी क्रमांक 1 को कोई राहत देने में असमर्थ हैं।

हमारी राय है कि यदि प्रतिवादी क्रमांक 1 का दावा है कि इस अपील के लंबित रहने के दौरान, उसने लंबी अवधि के लिए काम करना शुरू कर दिया है और अब उसे अंशकालिक कर्मचारी के रूप में नहीं माना जा सकता है, तो उसका समाधान श्रम न्यायालय से संपर्क करने में निहित है क्योंकि निर्णय इस तथ्यात्मक विवाद को दर्ज करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा उचित आदेश और दस्तावेजी साक्ष्य के साथ यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि अब, वह अंशकालिक कर्मचारी नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठान में किसी भी अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के समान घंटों के लिए काम करने वाला कर्मचारी है और वह भी सप्ताह में कुछ दिनों के लिए रुक-रुक कर नहीं, बल्कि प्रत्येक कार्य दिवस पर, निश्चित रूप से, वह समान वेतन का दावा कर सकता है जो अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा है, जो नियमित आधार पर काम कर रहे हैं। किसी भी मामले में, कानून के तहत देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान प्रतिवादी संख्या 1 को किया जाना आवश्यक है, यदि प्रतिवादी संख्या 1 को भुगतान की जाने वाली मजदूरी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम है।

उपरोक्त विचार के मद्देनजर, हालांकि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2019 को रद्द कर दिया गया है, प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा दायर रिट याचिका को निम्नलिखित निर्देशों के साथ निपटाया जाता है:

(क) जब भी समय-समय पर मजदूरी संशोधित की जाएगी, अपीलकर्ता प्रतिवादी क्रमांक 1 को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

(ख) प्रतिवादी क्रमांक 1 की वर्तमान मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार लागू है।

(ग) प्रतिवादी क्रमांक 1 को आज तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्वीकार्य वेतनमान के न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जा रहा था और यह मानते हुए कि प्रतिवादी क्रमांक 1 एक सफ़ाईकर्मी है, अपीलकर्ता उससे कोई वसूली नहीं करेंगे, न ही उस राशि की, जिसकी उसे अंतरिम निर्देशों के तहत पहले ही भुगतान किया की जा चुका है, उसका समायोजन प्रतिवादी क्रमांक 1 के भविष्य के वेतन से किया जाएगा।

(घ) प्रतिवादी संख्या 1 श्रम न्यायालय से यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा कि वह अब अंशकालिक कर्मचारी नहीं है, बल्कि नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समान घंटों के लिए काम कर रहा है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर लागू वेतनमान के कम से कम न्यूनतम वेतन का हकदार है।

तदनुसार, अपील का निपटारा किया जाता है।

लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(विनोद कुमार भरवानी), न्यायमूर्ति (मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव), कार्यवाहक सी.जे

MANOJ NARWANI /49

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।